फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर, चौमूं

कल्ला बनाम गणपत वगै0

मुकदमा संख्या :- 23/2020 2020/00228

दिनांक	आज्ञा – पत्र
20.08.2020	**प्रार्थना पत्र तहत धारा 151 सीपीसी बाबत कृषि ऋण लिए जाने की अनुमति दिये जाने हेतु** **आदेश** दिनांकः– 20.08.2020 प्रार्थी/वादी कल्ला पुत्र भूरा की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया गया है कि उनवानी प्रकरण वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा मय प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा संख्या 83/2014 न्यायालय हाजा के समक्ष पेश किया गया था जिसमें दिनांक 29.10.2014 को विवादित भूमि आराजी ग्राम कीरतसिंह का बास, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने बाबत उभयपक्षकारान को पाबन्द किया गया था। जिसके उपरान्त न्यायालय हाजा द्वारा पक्षकारान को सुनकर न्याय आपके द्वार, कैम्प कोर्ट ग्राम गुडलिया में दिनांक 10.06.2016 को मूल वाद प्राथमिक डिक्री किया गया तथा दिनांक 29.10.2014 को पारित अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को ताफैसला वाद कन्फर्म कर दिया गया। प्रार्थी अपने हिस्से की खातेदारी भूमि पर ऋण प्राप्त कर कृषि कार्य करना चाहता है लेकिन उक्त स्थगन के कारण प्रार्थी को कृषि ऋण व अन्य सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। प्रार्थी/वादी ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रकरण संख्या 83/2014 उनवानी कल्ला बनाम गणपत व अन्य में पारित स्थगन आदेश दिनांक 10.06.2016 के प्रभावी रहने के दौरान प्रार्थी को उसके हिस्से की भूमि पर कृषि ऋण लिये जाने की अनुमति प्रदान करने की कृपा करें। वकुलाय फरीकेन उपस्थित। प्रार्थना पत्र की नकल दी गई। अधिवक्ता अप्रार्थी से जवाब तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा नो ओब्जेक्शन प्लीड किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र में प्रार्थी/वादी अपने हिस्से की भूमि पर कृषि ऋण लेना चाहता है। कृषि ऋण लेने से वाद की प्रकृति में कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 151 सी0पी0सी0 का स्वीकार किया जाकर प्रार्थी/वादी को उसके हिस्से की भूमि पर कृषि ऋण लेने हेतु दिनांक 10.06.2016 को [illegible] स्थायी निषेधाज्ञा में छूट प्रदान की जाती है। शेष मूल आदेश य[illegible] रहे[illegible]। आदेश आज दिनांक 20.08.2020 को [illegible] लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली [illegible] होकर दर्ज नम्बर से तथा दाखिल दफ्तर हो। Signature Not Verified Digitally signed by Nisha Saharan Date: 2021.01.08 12:08:00 IST Reason: Self Attested सहायक कलक्टर चौमूं सहायक कलक्टर चौमूं (जयपुर)

Scanned with CamScanner